UPMZ010033742014

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

उपस्थितः बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

सेशन वाद संख्या 968 सन 2014

उत्तर प्रदेश राज्य –अभियोजन पक्ष

बनाम

आबिद पुत्र आसिफ निवासी मौहल्ला दीन मौहम्मद, थाना कोतवाली नगर, जनपद मुजफ्फरनगर

–अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या–21 सन 2014
धारा– 333, 353 भादंसं.
थाना– सिविल लाईन्स
जनपद–मुजफ्फरनगर

निर्णय

पुलिस थाना सिविल लाईन्स जनपद मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट एवं विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 2, मुजफ्फरनगर के कमिटल आदेश दिनांकित 07.10.2014 के आधार पर अभियुक्त आबिद पुत्र आसिफ का विचारण धारा 333 एवं 353 भारतीय दंड संहिता के आरोप के लिये किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक का सारांश इस प्रकार से है कि, दिनांक 15.01.2014 को वादी मुकदमा कां. 614 विनोद कुमार व होमगार्ड 809 जल सिंह थाने बहवाले रपट संख्या 35 समय 19.45 बजे चीता 21 पर शांति

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.19 16:52:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

व्यवस्था व गश्त रात्रि संदिग्ध वाहन मे अन्दर इलाका थाना हाजा में मामूर था कि जब वे लोग गश्त करते हुए बझेडी फाटक की ओर जा रहे थे तो जैसे ही वे लोग मदनी चौक पर पहुंचे तो एक व्यक्ति मदनी चौक से चक्कर वाली सडक की ओर स्कूटी पर अपनी बैट्री रखे जा रहा था जिसे उन लोगों ने रोकने का प्रयास किया, नहीं रूका बल्कि चक्कर वाली सडक से रूडकी रोड होता हुआ शिव चौक की ओर भागने लगा जिस पर उसके द्वारा पुलिस कन्ट्रोल रूम को जरिये आरटी सैट सूचना दी। चार्ली द्वारा चीता–17 व अस्पताल तिराहे पर अहिल्या बाई चौक के पास चीता–17 पर नियुक्त कर्मचारीगण कां. 1412 शिरोमणी व होमगार्ड 762 रमेश चन्द व अस्पताल तिराहे पर नियुक्त पिकेट पर कां. 1187 सुरेन्द्र व कां. 1437 हरेन्द्र ने रोड पर खडे होकर स्कूटी रोकने का प्रयास किया तो स्कूटी चालक द्वारा तेजी से चला कर कां. 1437 हरेन्द्र कुमार को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार मय स्कूटी के सडक पर गिर गया एवं कां. 1437 हरेन्द्र भी पैरों में चोट आने के कारण सडक पर गिर गया। उन लोगों ने घेरघोट कर समय करीब 2.30 बजे स्कूटी चालक को पकडा। इसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम आबिद पुत्र आसिफ मौहल्ला दीन मौहम्मद थाना कोतवाली नगर बताया। इसके कब्जे से एक स्कूटी DURO यू.पी.–12–एए–2609 जिसका इंजन नम्बर MDE CBO 14068 चैसिस नम्बर CHMECDMD1B1VC1B13093 बरामद हुई। स्कूटी पर ही एक बैट्री जिसका अंग्रेजी में PERSTOLTE रंग पीला बरामद हुई। स्कूटी के संबंध में पूछा गया तो बताया कि दिनांक 09.01.2014 को उसने यह स्कूटी घास मंडी टेलिफोन एक्सचेंज के सामने से चोरी की थी तथा स्कूटी पर नम्बर प्लेट यू.पी.–12–एए–2699 लगा था जिसको उसने बदलकर यू.पी.–12–एए–2609 की नम्बर प्लेट लगा ली थी और एक बैट्री उसने आज रात में ही चोरी की है कि आप लोगों ने पकड लिया है। मौके पर आने जाने वाले व्यक्तियों से गवाही के लिये कहा गया तो कोई भी भलाई बुराई के कारण गवाही देने के लिये तैयार नहीं हुआ। आबिद को जुल्म धारा 379, 411, 333, 353 भारतीय दंड संहिता से अवगत कराते हुए विधिवत पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। मौके पर गिरफतारी प्रपत्र आदि तैयार किया गया। मौके पर गिरफतारी की सूचना थाना द्वारा उचित माध्यम से दी जायेगी। कां. हरेन्द्र एवं पकडे गये अभियुक्त को भी चोटें आयी थी जिनका ईलाज सरकारी अस्पताल

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

में किया गया। फर्द मौके पर ही उसके द्वारा टार्च एवं बिजली की रोशनी में तैयार की गयी। फर्द को पढकर सुनाकर हमराही के हस्ताक्षर कराये थे।

3. फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 के आधार पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट चिक प्रदर्श क–8 दिनांक 15.01.2014 को समय 2.30 ए.एम. पर अभियुक्त आबिद के विरूद्व धारा 333, 353 भारतीय दंड संहिता, मुकदमा अपराध संख्या 21 सन 2014 दर्ज की गयी, जिसमें घटनास्थल अस्पताल तिराहा दर्शाया गया है तथा घटनास्थल से थाना सिविल लाईन्स की दूरी 01 किलोमीटर दर्शित की गयी है, जिसकी कायमी जी.डी. संख्या 10 दिनांक 15.01.2014 समय 5.30 बजे प्रदर्श क–9 किता की गयी।

4. घायल कांस्टेबल हरेन्द्र सिंह को प्राथमिकी उपचार के लिये जिला चिकित्सालय (पुरूष) मुजफफरनगर ले जाया गया जहां उसका प्राथमिक उपचार डॉक्टर राकेश सिंह पी.डब्लू.–5 द्वारा दिनांक 15.01.2024 समय 2.45 ए.एम. पर किया गया था तथा चिकित्सीय आख्या <u>प्रदर्श क–10</u> तैयार की गयी जिसके अनुसार उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें आयी थीं :–

चोट संख्या 1– घिरसटदार नीलगू निशान 20 सेमी X 2 सेमी दायीं जांघ पर सामने व अन्दर की ओर दायें घुटने से 6 सेमी उपर लालिमा लिये हुए था। चोट को जेरे निगरानी रखा गया था तथा एक्स–रे की सलाह दी गयी।

चोट संख्या 2– घिरसट का निशान 6 सेमी X 3 सेमी दायीं जांघ पर बाहर की तरफ दायें घुटने से 14 सेमी उपर लाल रंग का।

चोट संख्या 3– मल्टीपल कई घिसटदार लाल रंग के 18 सेमी X 6 सेमी के एरिया में दायें घुटने व घुटने के नीचे पैर/टांग पर मौजूद थे। सबसे छोटा 1 सेमी X 1 सेमी तथा बड़ा 2 सेमी X 1 सेमी का था।

चोट संख्या 4– घिसटदार लाल रंग का घिसट का निशान 2.5 सेमी X 2.5 सेमी दाये टखने के जोड पर बाहर की ओर मौजूद था। चोट को जेरे निगरानी रखकर एक्स–रे की सलाह दी गयी।

चोट संख्या 5– मल्टीपल घिरसट के निशान 8 सेमी X 6 सेमी के एरिया में अन्दर व सामने की ओर बायीं टांग पर बायें टखने से उपर। सबसे छोटा 1 सेमी X .5 सेमी तथा बडा 2 सेमी X .5 सेमी लाल रंग का था।

पत्रावली पर कागज संख्या 9क/2 दिनांकित 19.01.2014 एक्सरे रिपोर्ट उपलब्ध है जिसमे कां. हरेन्द्र के दाहिने टीबिया हडडी में फ्रैक्चर पाया जाना

अंकित है और वह इला अस्पताल मुजफफरनगर से जारी होना दर्शित है तथा उसकी मूल दाखिल नहीं है।

इसी प्रकार परीक्षित अभियुक्त आबिद का भी दिनांक 15.01.2024 को समय 3.00 ए.एम. पर चिकित्सीय परीक्षण जिला चिकित्सालय मुजफफरनगर में कागज संख्या 9क/1 तैयार कराया गया जिसमें उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गयी :–

1. L.W. 3 cm x 0.5 cm x bone deep on left side head 6 cm above left ear. KUO.

2. Multiple abrasion on face smallest 0.5 cm x 0.5 cm x bigger 1 cm x 0.5 cm. both side face.

3. Multiple abrasion...of and hand left. smallest 0.5 cm x 0.5 cm and bigger 1.5 cm x 0.25 cm.

5. विवेचना के दौरान विवेचक उपनिरीक्षक सत्य कुमार पी.डब्लू.–4 द्वारा घ टनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–6 तैयार किया गया, जिसमें तीर के निशान से वह स्थान दर्शाया गया है जिधर से अभियुक्त का स्कूटी चलाकर आना बताया गया है तथा बिन्दुओं के चिन्हों से वह स्थान दर्शाया गया है जहां पर पुलिसपार्टी द्वारा खडे होकर स्कूटी चालक को रोकने का प्रयास करना बताया गया है एवं अक्षर "ए" वह स्थान दर्शित किया गया है जहां पर स्कूटी चालक ने जानबूझकर सरकारी कार्य में बाधा डालकर कां. हरेन्द्र को टक्कर मारकर चोट पहुंचाना बताया गया है।

6. बाद विवेचना परीक्षित अभियुक्त आबिद के विरूद्व धारा 333, 353 भारतीय दंड संहिता के तहत विचारण हेतु आरोप पत्र संख्या 26 सन 2014 प्रदर्श क–7 मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर दिनांक 11.03. 2014 को प्रसंज्ञान लिया गया।

7. अभियुक्त आबिद की उपस्थिति में उसके विरूद्व दिनांक 27.07.2015 को तत्कालीन अपर सेशन न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 11, मुजफफरनगर द्वारा धारा 333 एवं 353 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाया गया। अभियुक्त ने दोषी अभिवचन नहीं किये एवं विचारण की मांग की।

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

जबकि सुनवाई के स्तर पर अभियुक्त आबिद की उपस्थिति में दिनांक 12.02.2026 को पूर्व विरचित आरोप अंतर्गत धारा 353 भारतीय दंड संहिता को संशोधित करते हुए पुनः आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने दोषी अभिवचन नही किये और विचारण की मांग दौहराई तथा संशोधित आरोप के संबंध में उभयपक्षों की ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने से मना किया गया।

8. अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिये निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है :–

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	विवरण
पी.डब्लू.–1	उपनिरीक्षक हरेन्द्र सिंह	चुटैल पुलिसकर्मी, जिसे अभियुक्त द्वारा अपनी स्कूटी को तेजी से चलाकर प्रदर्श क–10 में वर्णित चोटें टक्कर मारकर पहुंचाया जाना कहा गया है।
पी.डब्लू.–2	हैड कांस्टेबल 706 विनोद कुमार	वादी मुकदमा
पी.डब्लू.–3	हैड कांस्टेबल शिरोमणि सिंह	मौके का गवाह
पी.डब्लू.–4	उपनिरीक्षक सत्य कुमार	विवेचक
पी.डब्लू.–5	डॉ. राजेश सिंह	चुटैल पुलिसकर्मी हरेन्द्र सिंह का उपचार करने वाला चिकित्सक

9. अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण द्वारा जो प्रपत्र प्रदर्श के रूप में साबित किये गये हैं, उनकी सूची निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	प्रदर्श	दस्तावेज/माल मुकदमाती का नाम	साक्षी का नाम व संख्या जिसके द्वारा साबित किया गया
1	प्रदर्श क–1	फर्द बरामदगी दिनांकित 15.01.2014	हैड कांस्टेबल 706 विनोद कुमार पी.डब्लू.–1
2	प्रदर्श क–6 प्रदर्श क–7 प्रदर्श क–8 प्रदर्श क–9	घटनास्थल का नक्शा नजरी अभियुक्त के विरूद्व प्रेषित आरोप पत्र चिक एफआईआर नकल रपट संख्या 10 समय 5.30 बजे	उपनिरीक्षक सत्यकुमार पी.डब्लू0.–4
3	प्रदर्श क–10	चिकित्सीय परीक्षण आख्या चुटैल कां0 हरेन्द्र सिंह	डॉ. राजेश सिंह पी. डब्लू.–10

10. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरांत अभियुक्त का कथन अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता दिनांक 30.08.2025 को अंकित किया गया, जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया कि उसके विरूद्व लगाये गये आरोप गलत हैं।

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

यह भी कथन किया गया है कि पी.डब्लू.–1 हरेन्द्र सिंह, पी.डब्लू.–2 हैड कां. 706 विनोद कुमार तथा पी.डब्लू.–3 हैड कांस्टेबल 149 शिरोमणि सिंह के बयान गलत हैं तथा उससे किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा साक्षी डॉ. राजेश सिंह का बयान गलत है।

अंत में कथन किया गया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। उसके विरूद्व गलत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उसका स्कूटी व बैट्री से कोई मतलब वास्ता नहीं है और न ही वह घटनास्थल पर मौजूद था।

11. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक श्री राजीव शर्मा द्वारा तर्क दिया गया है कि दौरान गश्त अभियुक्त को अपनी स्कूटी पर बैट्री रखे पुलिसपार्टी द्वारा देखा गया और रूकने का इशारा किया गया तो वह नहीं रूका और अपनी स्कूटी को तेजी से भगा कर ले जाने लगा। आर.टी. सैट से पुलिस कन्ट्रोल रूम को सूचना दी गयी तो अस्पताल तिराहे पर नियुक्त पिकेट पर खडे पुलिस कर्मियों द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त ने स्कूटी को तेजी से चलाकर कां. हरेन्द्र को टक्कर मार दी जिससे उसे गंभीर चोटें आयी। विवेचना के उपरांत अभियुक्त के विरूद्व धारा 333 एवं 353 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और न्यायालय में दिये गये बयान में घटना का समर्थन चुटैल पुलिसकर्मी हरेन्द्र सिंह पी.डब्लू.–1 तथा वादी मुकदमा हैड कां. विनोद पी. डब्लू.–2 तथा मौके पर उपस्थित अन्य पुलिसकर्मी हैड कांस्टेबल शिरोमणी द्वारा किया गया है। अभियोजन अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अपने केस को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त दोषसिद्व किये जाने योग्य है।

12. जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से लिखित बहस 28 के हवाले से कहा गया है कि अभियोजन अनुसार अभियुक्त को चोरी की स्कूटी पर बैट्री रखकर भागना तथा अस्पताल तिराहा पर उसे रोकने पर उसके द्वारा कथित स्कूटी को चलाकर कांस्टेबल हरेन्द्र को टक्कर मारना तथा उसे मौके पर पकडे जाने पर उससे एक चोरी की स्कूटी व चोरी की बैट्री की बरामदगी कही जा रही है। कथित बरामदगी झूठी प्लांट की गयी है जिससे अभियुक्त का कोई मतलब वास्ता नहीं है। अभियोजन की कहानी इसी बात से भी

संदिग्ध हो जाती है कि कथित स्कूटी व बैट्री की चोरी के संबंध में कोई प्राथमिकी किसी भी थाने पर पंजीकृत नहीं है।

यह भी कहा गया है कि कथित पुलिसकर्मी कांस्टेबल हरेन्द्र जिसे घ ाटना में चोट आना कहा जाता है, की घटनास्थल पर उपस्थित ही संदिग्ध है क्योंकि कथित घटनास्थल पर तैनात होने के संबंध में किसी प्रकार की कोई जी.डी. नहीं है। इसी क्रम में यह भी बताया गया है कि चुटैल कांस्टेबल हरेन्द्र द्वारा अभियुक्त को बैरियर लगाकर रोकने का प्रयास किया जाना अपने बयान में कहा गया है परंतु अभियुक्त को बैरियर लगाकर रोकने के संबंध में न तो फर्द बरामदगी में ही कोई कथन किया गया है और न ही गवाह कांस्टेबल विनोद कुमार पी.डब्लू.–1 एवं शिरोमणी सिंह पी.डब्लू.–3 द्वारा अपने बयानों में इस प्रकार का कोई कथन किया गया है। गवाह कांस्टेबल हरेन्द्र पी.डब्लू.–1 पहली बार न्यायालय के समक्ष इस प्रकार का कथन केस को बल देने के लिये कर रहा है। अंत मे कहा गया है कि कथित आरोपों के संबंध में अभियोजन की ओर से तथ्य के गवाहान के बयानात सत्य व विश्वसनीय नहीं हैं तथा कांस्टेबल हरेन्द्र सिंह कथित चोटें साधारण प्रकृति की बतायी गयी है जो गिरने से भी आना संभव है और डाक्टर ने अपने बयान में इस बात की संभावना व्यक्त की है कि कांस्टेबल हरेन्द्र की चोटें एक्सीडेंट से आ सकती है तथा चुटैल की कोई एक्स–रे रिपोर्ट पत्रावली पर साबित नहीं करायी गयी है तथा फर्द पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नही है और न ही बरामद स्कूटी व बैट्री को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और न ही रवानगी जीडी साबित करायी गयी है तथा अभियुक्त की चोटों का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं बताया गया है।

13. मैंने विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक श्री राजीव शर्मा एवं अभियुक्त आबिद के विद्वान अधिवक्ता श्री किरणपाल कश्यप के तर्को को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

14. इस प्रकार उक्त कथनों एवं परिस्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन के कथानक अनुसार दिनांक 15.01.2014 को जब वादी मुकदमा कां. 614 विनोद कुमार व होमगार्ड 809 जल सिंह थाने बहवाले रपट संख्या 35 समय 19.45 बजे चीता 21 पर शांति व्यवस्था व गश्त रात्रि संदिग्ध वाहन मे अन्दर इलाका थाना हाजा में मामूर था और गश्त करते हुए बझेडी फाटक

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

की ओर जा रहे थे तो मदनी चौक पर पहुंचने पर एक व्यक्ति मदनी चौक से चक्कर वाली सडक की ओर स्कूटी पर अपनी बैट्री रखे जा रहा था जिसे उन लोगों ने रोकने का प्रयास किया, नहीं रूका बल्कि चक्कर वाली सडक से रूडकी रोड होता हुआ शिव चौक की ओर भागने लगा जिस पर उसके द्वारा पुलिस कन्ट्रोल रूम को जरिये आरटी सैट सूचना दी। चार्ली द्वारा चीता–17 व अस्पताल तिराहे पर अहिल्या बाई चौक के पास चीता–17 पर नियुक्त कर्मचारीगण कां. 1412 शिरोमणी व होमगार्ड 762 रमेश चन्द व अस्पताल तिराहे पर नियुक्त पिकेट पर कां. 1187 सुरेन्द्र व कां. 1437 हरेन्द्र ने रोड पर खडे होकर स्कूटी रोकने का प्रयास किया तो स्कूटी चालक द्वारा तेजी से चला कर कां. 1437 हरेन्द्र कुमार को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार मय स्कूटी के सडक पर गिर गया एवं कां. 1437 हरेन्द्र भी पैरों में चोट आने के कारण सडक पर गिर गया। घेर घोट कर समय करीब 2.30 बजे स्कूटी चालक को पकड़ लिया गया, जिसने अपना नाम आबिद पुत्र आसिफ मौहल्ला दीन मौहम्मद बताया। इसके कब्जे से एक स्कूटी DURO यू.पी.–12–एए–2609 तथा स्कूटी पर रखी एक बैट्री बरामद हुई, जिसे दिनांक 09.01.2014 को घास मंडी टेलिफोन एक्सचेंज के सामने से चोरी करना तथा स्कूटी पर फर्जी नम्बर यू.पी.–12–एए–2609 की नम्बर प्लेट लगाना बताया एवं कथित बैट्री को भी उसके द्वारा चोरी की बताया गया।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह जाहिर होता है कि अभियुक्त आबिद के विरूद्व पुलिसपार्टी द्वारा एक स्कूटी पर चोरी की बैट्री रखकर ले जाने के दौरान रोके जाने पर, पुलिसपार्टी के सरकारी कार्य के संपादन में व्यवधान डालते हुए पुलिसकर्मी कां. हरेन्द्र को चोटें पहुंचाने संबंधी आरोप अंतर्गत धारा 333 एवं 353 भारतीय दंड संहिता लगाये गये हैं। अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोपों के संबंध में तथ्य के साक्षीगण चुटैल कांस्टेबल हरेन्द्र सिंह को बतौर पी.डब्लू.–1 तथा वादी मुकदमा हैड कांस्टेबल विनोद कुमार को बतौर पी.डब्लू.–2 तथा हैड कांस्टेबल शिरोमणि सिंह को बतौर प्रदर्श क–3 परीक्षित कराया गया है।

15. निर्विवाद रूप से यह घटना दिनांक 15.01.2014 को समय 02.30 ए.एम. वहद अस्पताल तिराहा थानांतर्गत सिविल लाईन्स, जनपद मुजफ्फरनगर में घटित होना कहा गया है तथा इस केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा

(पी.डब्लू.–2) कांस्टेबल विनोद कुमार की फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 के आधार पर दिनांक 15.01.2014 को समय 05.30 ए.एम. पर अभियुक्त आबिद के विरूद्व धारा 333 एवं 353 भारतीय दंड संहिता थाना सिविल लाईन्स जनपद मुजफ्फरनगर पर पंजीकृत की गयी, जिसका तस्करा जी.डी. संख्या 10 समय 05.30 ए.एम. दिनांकित 15.01.2014 प्रदर्श क–9 पर किया गया। चुटैल कांस्टेबल हरेन्द्र को जिला अस्पताल मुजफफरनगर ले जाया गया था जहां उसका प्राथमिक उपचार डॉ. राजेश सिंह पी.डब्लू.–5 द्वारा किया गया था तथा उनके द्वारा चुटैल की चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रदर्श क–10 तैयार की गयी थी।

16. इस संबंध में वादी मुकदमा (पी.डब्लू.–2) कांस्टेबल विनोद कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 15.01.2014 को वह थाना सिविल लाईन्स पर कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उसके साथ हैड कांस्टेबल जल सिंह शांति व्यवस्था व गश्त रात्रि संदिग्ध वाहन अन्दर इलाका मामूर थे। जैसे ही मदनी चौंक पर पहुंचे तो एक व्यक्ति मदनी चौक से चक्कर वाली सडक की ओर से स्कूटी पर बैट्री रखे था जिसे रोकने का प्रयास किया गया। उसके द्वारा पुलिस कन्ट्रोल रूम को आर.टी. सैट से सूचना दी गयी। अस्पताल तिराहे पर अहिल्याबाई चौक के पास चीता 17 पर कां. शिरोमणी, होमगार्ड रमेश चन्द, कांस्टेबल 1187 सुरेन्द्र व कां. 1437 हरेन्द्र ने खडे होकर स्कूटी को रोकने का प्रयास किया तो स्कूटी चालक द्वारा तेज ति से चलाकर कांस्टेबल हरेन्द्र कुमार को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार मय स्कूटी के सडक पर गिर गया। कांस्टेबल हरेन्द्र के पैरो में भी चोट आ गयी जिससे वह गिर गया। अभियुक्त को मौके पर समय करीब 2.30 बजे पकड लिया गया तथा उसके कब्जे से एक स्कूटी तथा स्कूटी पर रखी बैट्री की बरामदगी की गयी। इस साक्षी ने आगे यह बयान दिया है कि मौके पर गिरफतारी मीमो व फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 तैयार की गयी थी जिसे साक्षी ने साबित किया है।

इसी संबंध में उपनिरीक्षक सत्य कुमार पी.डब्लू.–4 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि वह दिनांक 15.01.2014 को थाना सिविल लाईन्स पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन उसकी मौजूदगी में थाना सिविल लाईन्स पर मुकदमा अपराध संख्या 21 सन 2014 धारा 333, 353 भारतीय दंड संहिता विनोद कुमार बनाम आबिद लिखा गया था जिसकी

विवेचना उसने ग्रहण की थी तथा नकल चिक, नकल रपट, डॉक्टरी रिपोर्ट, कांस्टेबल हरेन्द्र सिंह व अभियुक्त आबिद की मैडिकल रिपोर्ट का अवलोकन कर केस डायरी में संलग्न किया था एवं घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–6 वादी मुकदमा की निशानदेही पर तैयार किया था। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि एफआईआर संख्या 16 सन 2014 दिनांकित 15.01.2014 कांस्टेबल कृष्ण गोपाल के द्वारा किता किया गया है। कांस्टेबल कृष्ण गोपाल उसके साथ तैनात रहा है। उसने उसे लिखते पढ़ते पढते देखा है। उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर को वह पहचानता है। इस साक्षी ने चिक एफआईआर प्रदर्श क–8 व कायमी मुकदमे की जी.डी. प्रदर्श क–9 को साबित किया है।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण की घटना दिनांक 15.01.2024 को 2.30 ए.एम. पर घटित होने के पश्चात वादी मुकदमा कांस्टेबल विनोद कुमार पी.डब्लू.–2 द्वारा मौके पर अभियुक्त को पकड़े जाने पर गिरफतारी मीमों व फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 तैयार की गयी तथा जिसके आधार पर थाना सिविल लाईन्स पर दिनांक 15.01.2014 को समय 5.30 बजे अभियुक्त के विरूद्व मुकदमा अपराध संख्या 21 सन 2014 अंतर्गत धारा 333, 353 भारतीय दंड संहिता पंजीकृत कराया गया तथा चिक एफआईआर को बतौर प्रदर्श क–8 व कायमी मुकदमे की जी.डी. को बतौर प्रदर्श क–9 विवेचक साक्षी उपनिरीक्षक सत्य कुमार पी.डब्लू.–4 द्वारा साबित किया गया है।

इस प्रकार उक्त उपलब्ध साक्ष्य के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट युक्ति–युक्त समय के भीतर दर्ज करायी गयी है और अभियोजन फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1, चिक एफआईआर प्रदर्श क–8 एवं मुकदमा कायमी की जीडी प्रदर्श क–9 के विधिक सम्यक वजूद को विधिवत साबित कर पाने में सफल रहा है।

17. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त को जब पुलिसकर्मियों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त नहीं रूका और उसके द्वारा अपनी स्कूटी को तेज गति से चलाकर कांस्टेबल हरेन्द्र कुमार को टक्कर मार दी, जिससे उसके पैरों में चोटें कारित की और इस प्रकार अभियुक्त ने लोकसेवक

को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिये स्वच्छया घोर उपहति कारित करने के साथ साथ उस पर हमला कारित किया।

इस संबंध में वादी मुकदमा कांस्टेबल विनोद कुमार पी.डब्लू.–2 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 15.01.2014 को वह तथा उसके साथ हैड कांस्टेबल जल सिंह शांति व्यवस्था व गश्त रात्रि संदिग्ध वाहन अन्दर इलाका मामूर थे। जैसे ही मदनी चौंक पर पहुंचे तो एक व्यक्ति मदनी चौक से चक्कर वाली सडक की ओर से स्कूटी पर बैट्री रखे था जिसे रोकने का प्रयास किया गया। उसके द्वारा पुलिस कन्ट्रोल रूम को आर.टी. सैट से सूचना दी गयी। अस्पताल तिराहे पर अहिल्याबाई चौक के पास चीता 17 पर कां. शिरोमणी, होमगार्ड रमेश चन्द, कांस्टेबल 1187 सुरेन्द्र व कां. 1437 हरेन्द्र ने खडे होकर स्कूटी को रोकने का प्रयास किया तो स्कूटी चालक द्वारा तेज ति से चलाकर कांस्टेबल हरेन्द्र कुमार को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार मय स्कूटी के सडक पर गिर गया। कांस्टेबल हरेन्द्र के पैरो में भी चोट आ गयी जिससे वह गिर गया।

इस संबंध में चुटैल कांस्टेबल हरेन्द्र पी.डब्लू.–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है ेकि दिनांक 14/15.01.2014 को वह थाना सिविल लाईन्स पर बतौर कांस्टेबल कार्यरत था तथा कांस्टेबल 1187 सुरेन्द्र सिंह के साथ अहिल्या बाई चौक पर पिकेट डयूटी पर रात्रि में तैनात था। उस दिन चीता 21 पर कां. 614 विनोद व होमगार्ड जलसिंह की ओर से सूचना प्रसारित हुई कि एक व्यक्ति मदनी चौंक से एक स्कूटर पर बैट्री चुराकर भाग रहा था। उक्त सूचना प्रसारित होने पर वह तथा उसके साथी चौराहे पर खडे होकर बैरियर लगाकर उसे रोकने का प्रयास किया। उस व्यक्ति ने जानबूझकर तेजी से स्कूटर चलाकर उसे टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसका साथी कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह उसे अस्पताल ले गये। सरकारी अस्पताली में रात्रि में सुविधा न मिलने के कारण इला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां एक्स–रे होने पर उसके दाहिने पैर में घुटने में फ्रैक्चर आया और करीब दस दिन वह अस्पताल में एडमिट हुआ और पैर का ऑप्रेशन करके रोड डाली गयी।

इसी संबंध में हैड कांस्टेबल शिरोमणी सिंह पी.डब्लू.–3 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 15.01.2014 को वह कांस्टेबल

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

विनोद कुमार, होमगार्ड जलसिंह के साथ रपट संख्या 34 समय 19.45 पर बिनावर चीता 21 पर शांति व्यवस्था व गश्त तथा संदिग्ध वाहन अन्दर इलाका थाना हाजा में मामूर था तथा अस्पताल तिराहा पर अहिल्या बाई चौक पर नियुक्त था जहां उसके साथ कांस्टेबल रमेश चन्द भी था। पिकेट पर कांस्टेबल सुरेन्द्र व कांस्टेबल हरेन्द्र रोड पर खडे होकर स्कूटी को रोकने का प्रयास किया। स्कूटी चालक ने तेजी से चलाकर कांस्टेबल 1437 हरेन्द्र कुमार को टक्कर मार दी। हरेन्द्र के पैरों में चोट आने के कारण सडक पर गिर गया। आगे यह बयान दिया है कि कांस्टेबल हरेन्द्र व पकडे गये अभियुक्त को भी चोटें आयी थी जिनका ईलाज सरकारी अस्पताल में कराया गया।

इस संबंध में चिकित्सक साक्षी डॉक्टर राजेश सिंह पी.डब्लू.–5 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 15.01.2014 को वह जिला चिकित्सालय मुजफफरनगर में इमेरजेन्सी डयूटी पर था। उस दिन समय 2 बजकर 45 मिनट ए.एम. पर कां. 1187 सुरेन्द्र कुमार चुटैल हरेन्द्र सिंह पुत्र कालूराम उम्र लगभग 37 वर्ष को इमेरजेन्सी में लेकर आये थे। चुटैल के शरीर पर निम्नलिखित चोटें आयी थीं :–

चोट संख्या 1– घिरसटदार नीलगू निशान 20 सेमी x 2 सेमी दायीं जांघ पर सामने व अन्दर की ओर दायें घुटने से 6 सेमी उपर लालिमा लिये हुए था। चोट को जेरे निगरानी रखा गया था तथा एक्स–रे की सलाह दी गयी।

चोट संख्या 2– घिरसट का निशान 6 सेमी x 3 सेमी दायीं जांघ पर बाहर की तरफ दायें घुटने से 14 सेमी उपर लाल रंग का।

चोट संख्या 3– मल्टीपल कई घिसटदार लाल रंग के 18 सेमी x 6 सेमी के एरिया में दायें घुटने व घुटने के नीचे पैर/टांग पर मौजूद थे। सबसे छोटा 1 सेमी x 1 सेमी तथा बड़ा 2 सेमी x 1 सेमी का था।

चोट संख्या 4– घिसटदार लाल रंग का घिसट का निशान 2.5 सेमी x 2.5 सेमी दाये टखने के जोड पर बाहर की ओर मौजूद था। चोट को जेरे निगरानी रखकर एक्स–रे की सलाह दी गयी।

चोट संख्या 5– मल्टीपल घिरसट के निशान 8 सेमी x 6 सेमी के एरिया में अन्दर व सामने की ओर बायीं टांग पर बायें टखने से उपर। सबसे छोटा 1 सेमी x .5 सेमी तथा बडा 2 सेमी x .5 सेमी लाल रंग का था।

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

इस प्रकार साक्षी पी.डब्लू.–5 डॉ. राजेश की राय में चोटें स्कूटी तेजी से टक्कर लगने पर भी आना संभव हैं तथा चोटें मैडिकल परीक्षण करने के समय से लगभग 3 से 6 घंटे के अन्दर आना संभव है। इसके अलावा उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि कां. हरेन्द्र की चोटों के बाद आबिद का मैडिकल किया गया था और आबिद की चोटें भी दुर्घटना से आयी रही थी तथा हरेन्द्र मजरूब की चोटें भी एक्सीडेन्टल हो सकती हे तथा उनके द्वारा मैडिकल रिपोर्ट में एक्सीडेंटल इंजरी लिखा है।

इस प्रकार बचाव पक्ष के उक्त गवाहों के बयान से यह तथ्य निष्कर्षित होता है कि कथित घटना में कांस्टेबल हरेन्द्र पी.डब्लू.–1 एवं परीक्षित अभियुक्त आबिद दोनों को चोटें आयी और उसका ईलाज अस्पताल में हुआ था तथा अभियोजन की ओर से अभियुक्त आबिद की दर्शित चोटें 9क/3 का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

<u>इस प्रकार इस संबंध में उक्त उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के परिशीलन से यह साबित होता है कि कथित घटना में कांस्टेबल हरेन्द्र पी.डब्लू.–1 को उस समय चोटें आयी जब वह अपनी डयूटी पर अस्पताल तिराहा अंतर्गत थाना सिविल लाईन्स जनपद मुजफफरनगर पर मौजूद था</u>। इसके अलावा यह भी स्पष्ट होता है कि कथित चोटें परीक्षित अभियुक्त द्वारा अपनी स्कूटी को लापारवाही पूर्ण से चलाते हुए कां. हरेन्द्र को टक्कर मारने से आना संभव है जैसा कि प्रदर्श क–1 में भी आया है कि स्कूटी चालक द्वारा तेजी से स्कूटी चलाकर कां. हरेन्द्र कुमार को टक्कर मारी गयी थी।

18. अभियोजन की ओर कथित घटनास्थल अस्पताल तिराहा थानांतर्गत सिविल लाईन्स जनपद मुजफफनगर होना कहा गया है।

इस संबंध में वादी मुकदमा कांस्टेबल विनोद कुमार पी.डब्लू.–2 द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान में कथन किया है कि दिनांक 15.01.2014 को दौरान रात्रि गश्त व संदिग्ध वाहन अन्दर इलाका थाना हाजा मामूर थे तो मदनी चौंक पर एक व्यक्ति मदनी चौंक से चक्कर वाली सडक की ओर से स्कूटी पर बैट्री रखे आ रहा था, उसे रोकने का प्रयास किया परंतु नहीं रूका बल्कि चक्कर वाली सडक से रूडकी रोड होता हुआ शिव चौंक की ओर भागने लगा। पुलिस कन्ट्रोल रूम को सूचना आर.टी. सैट से दी गयी। इस

साक्षी ने आगे बताया है कि अहिल्या बाई चौक के पास चीता 17 पर कर्मचारीगण कां. शिरोमणी, होमगार्ड रमेश चन्द्र अस्पताल तिराहे पर पिकेट पर कां. 1187 सुरेन्द्र व कांस्टेबल 1437 हरेन्द्र ने रोड पर खडे होकर स्कूटी रोकने का प्रयास किया तो स्कूटी चालक ने तेज गति से चलाकर कां. हरेन्द्र कुमार को टक्कर मार दी।

इसी संबंध में हैड कांस्टेबल शिरोमणी सिंह पी.डब्लू.–3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 15.01.2014 को वह थाना सिविल लाईन्स में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था तथा उस दिन वह कांस्टेबल विनोद कुमार, होमगार्ड जलसिंह के साथ रपट संख्या 34 समय 19.45 पर बिनावर चीता 21 पर शांति व्यवस्था व गश्त तथा संदिग्ध वाहन अन्दर इलाका थाना हाजा में मामूर था तथा अस्पताल तिराहा पर अहिल्या बाई चौक पर नियुक्त था जहां उसके साथ कांस्टेबल रमेश चन्द भी था।

इस संबंध में विवेचक साक्षी उपनिरीक्षक सत्य कुमार पी.डब्लू.–4 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 15.01.2014 को वह थाना सिविल लाईन्स पर बतौर एस.आई. तैनात था। उस दिन उसकी मौजूदगी में थाना सिविल लाईन्स पर मुकदमा अपराध संख्या 21 सन 2014 धारा 333, 353 विनोद कुमार बनाम आबिद कायम होकर विवेचना उसके द्वारा ग्रहण की गयी थी। उसके द्वारा नकल चिक, नकल रपट का अवलोकन कर एवं डाक्टरी रिपोर्ट तथा कां. हरेन्द्र सिंह व अभियुक्त आबिद की मैडिकल रिपोर्ट का अवलोकन केस डायरी में अंकित किया गया था। इस साक्षी ने आगे बताया है कि उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–6 तैयार किया गया था जिसे इस साक्षी ने साबित किया है। इस साक्षी द्वारा चिक एफआईआर. प्रदर्श क–8 व मुकदमा कायमी की जी.डी. प्रदर्श क–9 को भी साबित किया गया है।

इसी संबंध में चुटैल कांस्टेबल हरेन्द्र पी.डब्लू.–1 ने अपनी जिरह में पेज 5 पर बताया है कि घटना स्थल से अहिल्या बाई की मूर्ति 30–40 कदम की दूरी पर होगी। घटनास्थल पर उसका साथी सुरेन्द्र सिंह उससे उत्तर दिशा में खडा था। इसी संबंध में साक्षी हैड कांस्टेबल शिरोमणी सिंह पी.डब्लू.–3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 15.01.2014 को थाना सिविल लाईन्स में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था तथा अस्पताल तिराहा

अहिल्याबाई चौंक पर नियुक्त था तथा जिरह में बताया है कि घटनास्थल से अहिल्याबाई चौंक नजदीक था। घटनास्थल से अस्पताल भी नजदीक था एवं घ टनास्थल के नजदीक पुलिस बूथ था।

इस बिन्दु पर घटनास्थल के नक्शा नजरी प्रदर्श क–6 का अवलोकन किया गया जिसमें तीर के चिन्हों से वह स्थान दर्शाया गया है जिधर से अभियुक्त स्कूटी चलाकर आना बताया गया है। बिन्दुओं के चिन्ह द्वारा वह स्थान दर्शाया गया है। जहां पर पुलिस पार्टी द्वारा खडे होकर स्कूटी चालक को रोकने का प्रयास करना बताया गया। इसी प्रकार अक्षर ''ए'' वह स्थान दर्शाया गया है जहां पर स्कूटी चालक ने जानबूझकर सरकारी कार्य में बाधा डालकर कां. हरेन्द्र को टक्कर मारकर गंभीर चोट पहुंचाना बताया गया। नक्शा नजरी के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अक्षर ''ए'' जहां पर अभियुक्त द्वारा उसके उत्तर दिशा में मदनी चौंक से आकर कांस्टेबल हरेन्द्र को कथित स्कूटी से टक्कर मारना बताया गया है, के उत्तर दिशा की तरफ अहिल्या बाई चौंक तथा पूरब दिशा की तरफ पुलिस बूथ एवं उसके पश्चिम दिशा की तरफ जिला चिकित्सालय दर्शित किया गया है।

इसके अलावा चिक एफआइआर. प्रदर्श क–8 के अवलोकन से भी जाहिर होता है कि उसमें घटनास्थल अस्पताल तिराहा अंकित किया गया है तथा थाने से घटनास्थल की दूरी लगभग 800 मीटर दर्शित की गयी है।

इस प्रकार इस संबंध में उक्त उपलब्ध साक्ष्यों के विवेचन एवं विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कथित घटना अस्पताल तिराहा, थानांतर्गत कोतवाली नगर जनपद मुजफफरनगर में घटित हुई रही है और इस प्रकार अभियोजन पक्ष कथित घटना स्थल को स्थिर रख पाने में पूर्णतया सफल रहा है। दूसरे शब्दों में अभियोजन नक्शा नजरी प्रदर्श क–6 को विधिवत सबित कर पाने में सफल रहा है।

19. अभियोजन की ओर से कहा गया है कि अभियुक्त आबिद की गिरफतारी के समय मौके पर उससे कथित स्कूटी जिससे उसके द्वारा कांस्टेबल हरेन्द्र को टक्कर मारकर चोटें पहुंचायी गयी थी, तथा उस पर रखी बैट्री की बरामदगी की गयी है।

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

इसके विपरीत अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कहा गया है कि अभियुक्त से किसी प्रकार की स्कूटी व बैट्री की बरामदगी नहीं हुई है। बल्कि अभियोजन द्वारा अपने केस को बल देने के लिये कथित स्कूटी व बैट्री की बरामदगी फर्जी रूप से दिखायी गयी है। अभियोजन द्वारा कथित स्कूटी व बैट्री को चोरी की होना कहा जा रहा है जिसे लेकर अभियुक्त भाग रहा था और पुलिसकर्मियों द्वारा अभियुक्त को रोकने के कम में उसके द्वारा कांस्टेबल हरेन्द्र को टक्कर मारकर चोटें पहुंचाया जाना कहा गया है। कथित स्कूटी व बैट्री चोरी के संबंध में किसी भी थाने पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हैं। इस प्रकार कथित स्कूटी व बैट्री की बरामदगी की कहानी झूठी है तथा अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है।

इस बिन्दु पर फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 के अवलोकन से जाहिर होता है कि पुलिसपार्टी द्वारा स्कूटी चालक को घेर घोटकर समय करीब 2.30 बजे पकड लिया गया और नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम आबिद पुत्र आसिफ निवासी मौहल्ला दीन मौहम्मद, थाना कोतवाली बताया। उसके कब्जे से एक स्कूटी DURO यू.पी.–12–एए–2609 जिसका इंजन नम्बर MDE CBO 14068 चैसिस नम्बर CHMECDMD1B1VC1B13093 बरामद हुई। स्कूटी पर ही एक बैट्री जिसका अंग्रेजी में PERSTOLTE रंग पीला बरामद हुई। स्कूटी के संबंध में पूछा गया तो बताया कि दिनांक 09.01.2014 को उसने यह स्कूटी घ ास मंडी टेलिफोन एक्सचेंज के सामने से चोरी की थी तथा स्कूटी पर नम्बर प्लेट यू.पी.–12–एए–2699 लगा था जिसको उसने बदलकर यू.पी. –12–एए–2609 की नम्बर प्लेट लगा ली थी और एक बैट्री उसने आज रात में ही चोरी की है कि आप लोगों ने पकड लिया है।

इस बिन्दु पर वादी मुकदमा हैड कांस्टेबल विनोद कुमार पी.डब्लू.–2 ने अपनी जिरह में पृष्ठ– 3 पर कथन किया है कि .....मौके पर जनता के करीब 8–10 लोग थे। उनके नाम व पते उन्होंने नहीं पूछे थे। उन्होंने नाम पते बताने से मना कर दिया था। ......मुल्जिम ने भागने का प्रयास नहीं किया था। मुल्जिम को बिना अवरोध और न किसी डंडे से रोकने का प्रयास किया गया था और अस्पताल में उन्होंने फर्द बनायी थी। इसी कम में साक्षी ने कथन किया है कि फर्द के पहले पेज पर गवाह व अभियुक्त के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। अभियुक्त को फर्द की कापी दी गयी थी या नहीं दी गयी थी या जेब में रखी थी, उसे

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस समय उसे याद नहीं है कि बैट्री व स्कूटी जो मुल्जिम से बरामद हुए थे, थाने में किस समय दाखिल किये गये थे। इसी कम में साक्षी ने आगे यह कथन किया है कि मुल्जिम से बरामद स्कूटी व बैट्रा न्यायालय में मौजूद नहीं हैं।

इसी बिन्दु पर मौके पर उपस्थित साक्षी हैड कांस्टेबल शिरोमणी सिंह पी.डब्लू.–3 द्वारा अपनी जिरह में पृष्ठ–4 पर कथन किया गया है कि ...स्कूटी व मुल्जिम को कब्जे में लेने का समय नहीं बता सकता। फर्द मौके पर बनायी थी। स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नम्बर वह इस समय नहीं बता सकता। स्कूटी को थाने पर होमगार्ड रमेश चन्द ले गया था। मुल्जिम को जो फर्द की कॉपी दी थी वह उसकी जेब में डाल दी थी। जबकि फर्द प्रदर्श क–1 के प्रथम पृष्ठ पर अभियुक्त आबिद के हस्ताक्षर नहीं है।

इसी बिन्दु पर विवेचक साक्षी उपनिरीक्षक सत्य कुमार पी.डब्लू.–4 ने अपनी जिरह में पृष्ठ 5 पर कथन किया है कि उसने बरामद माल मुकदमा का कोई निरीक्षण नहीं किया था। बैट्री किस व्यक्ति की थी और कहां से चोरी हुई थी'' इस बात की जानकारी विवेचना के दौरान नहीं हुई थी। बैट्री किस कंपनी की थी विवेचना के दौरान कोई जानकारी नहीं हुई थी ? घटना में जो स्कूटी संलिप्त होना पाया गया था वह किसकी थी ? और कहां से चोरी हुई थी ? यह उसकी विवेचना के दौरान जानकारी में नहीं आया था। आगे बताया है कि जहां पर हरेन्द्र कुमार को स्कूटी से टक्कर लगकर गिरना बताया गया है वह स्थान उसने नक्शा नजरी में चिन्हित नहीं किया है। दौरान विवेचना बरामद स्कूटी के मालिक की आर.सी. उसे प्राप्त नहीं हुई थी। घटनास्थल के पश्चिम में प्रेस व जूस की दुकान थी। इन दुकानदारों से उसने कोई पूछताछ नहीं की थी।

इसी बिन्दु पर चुटैल साक्षी कांस्टेबल हरेन्द्र सिंह पी.डब्लू.–1 ने अपनी जिरह के पृष्ठ–4 पर कथन किया है कि.... स्कूटर सवार को पकड़ने से पहले ही उन्हें मालूम हो गया था कि वह चोरी की बैट्री लेकर आ रहा है। उन्हें यह नहीं मालूम कि बैट्री कहां से चोरी हुई और कहां ले जा रहा था ? तथा स्कूटी का स्वामी कौन था ? इस बात की जानकारी उसे नहीं है।

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

इस प्रकार उक्त साक्ष्य के विवेचन से यह परिलक्षित होता है कि हैड कांस्टेबल/वादी मुकदमा विनोद कुमार पी.डब्लू.–2 एवं हैड कांस्टेबल शिरोमणी सिंह पी.डब्लू.–3 के बयानों में कथित स्कूटी व बैट्री की फर्द तैयार करने के बिन्दु पर विरोधाभासी कथन किये गये हैं। हैड कांस्टेबल/वादी मुकदमा विनोद कुमार पी.डब्लू.–2 द्वारा अस्पताल में फर्द तैयार करना कहा जा रहा है जबकि हैड कांस्टेबल शिरोमणी सिंह पी.डब्लू.–3 द्वारा मौके पर फर्द तैयार करना कहा जा रहा है। जबकि उक्त दोनों ही साक्षीगण का घटनास्थल पर मौके पर उपस्थित होना बताया गया है। इसी प्रकार अभियोजन की ओर से अभियुक्त द्वारा चोरी की स्कूटी व बैट्री लेकर आने का कथन किया जा रहा है जबकि बैट्री किस व्यक्ति की थी, कहां से चोरी हुई थी ? बैट्री किस कंपनी की थी, उसका कौन स्वामी था ? इन सब तथ्यों के संबंध में साक्षीगण द्वारा विवेचना के दौरान कोई जानकारी न होने का कथन किया गया है।

इसी प्रकार फर्द की प्रति अभियुक्त को देने के संबंध में भी विरोधाभासी कथन साक्षी हैड कांस्टेबल विनोद कुमार पी.डब्लू.–2 एवं साक्षी हैड कांस्टेबल शिरोमणी सिंह पी.डब्लू.–3 द्वारा किये गये हैं। कथित स्कूटी व बैट्री थाने में दाखिल करने के समय के संबंध में वादी मुकदमा हैड कांस्टेबल विनोद कुमार पी.डब्लू.–2 द्वारा "याद न होने" का कथन किया गया है। इसी प्रकार स्कूटी व मुल्जिम को कब्जे में लेने का समय भी साक्षी हैड कांस्टेबल शिरोमणी सिंह पी.डब्लू.–3 द्वारा नहीं बताया गया है। इसके अलावा पत्रावली पर अभियोजन की ओर से न तो कथित स्कूटी व बैट्री चोरी होने के संबंध में कोई प्राथमिकी किसी थाने पर दर्ज होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और न ही कथित स्कूटी व बैट्री को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ही किया गया है जो अभियुक्त से दिखायी गयी कथित स्कूटी व बैट्री की बरामदगी को संदिग्ध बनाते हैं। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त आबिद से दिखायी गयी स्कूटी व बैट्री की बरामदगी के तथ्य को सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है।

20. अब प्रश्न यह उठता है कि क्या परीक्षित अभियुक्त द्वारा अपने वाहन स्कूटी को चलाकर कांस्टेबल हरेन्द्र, जिसके द्वारा आर.टी. सैट से सूचना प्राप्त होने पर कि अभियुक्त अपनी स्कूटी पर एक बैटरी रखकर भागा है, को रोकने के प्रयास में, अभियुक्त द्वारा कांस्टेबल हरेन्द्र को सरकारी कार्य के संपादन में व्यवधान उत्पन्न करते हुए टक्कर मारकर चोटें पहुंचायी गयी ?

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि संपूर्ण घटना संदिग्ध है। फर्द में अभियुक्त को बैरियर लगाकर रोकना नहीं बताया गया है और इसी प्रकार नक्शा नजरी में मौके पर कोई बैरियर लगाना नहीं बताया गया है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि घटना के समय पुलिसकर्मियों की उपस्थिति के संबंध में रवानगी जी.डी. दाखिल नहीं की गयी है। घटनास्थल पब्लिक प्लेस है जबकि घटना का कोई भी पब्लिक का साक्षी पेश नहीं किया गया है और न ही लेने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि कथित स्कूटी व बैट्री जिसे चोरी का होना बताया गया है, को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण वादी मुकदमा हैड कांस्टेबल 706 विनोद कुमार, पी.डब्लू.–2, हैड कांस्टेबल 149 शिरोमणी सिंह पी.डब्लू.–3, कांस्टेबल हरेन्द्र पी.डब्लू.–1 एवं विवेचक साक्षी उपनिरीक्षक सत्य कुमार पी.डब्लू.–4 के साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया गया।

वादी मुकदमा हैड कांस्टेबल 706 विनोद कुमार पी.डब्लू.–2 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में फर्द प्रदर्श क–1 को साबित किया गया है। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में फर्द मौके पर तैयार किया जाना और उसकी एक प्रति अभियुक्त को दिये जाने का कथन किया है। अपनी जिरह में साक्षी द्वारा बताया गया है कि घटनास्थल पर जाने से पहले थाना सिविल लाईन्स पर 19.45 पर अपनी रवानगी की थी। असल जी.डी. आज वह न्यायालय में लेकर नहीं आया है। मौके पर जनता के करीब 8–10 लोग उपस्थित थे। उनके नाम व पते नहीं पूछे थे। उन्होंने नाम पते बताने से मना कर दिया था। मुल्जिम को उन्होंने दस कदम दूर से देख लिया था। वे मुल्जिम का पीछा करते हुए आ रहे थे। यह बात फर्द में नहीं लिखी है। मुल्जिम को उसने ही पकडा था। मुल्जिम ने भागने का कोई प्रयास नहीं किया था। मुल्जिम को बिना किसी अवरोध, और ना किसी डंडे के रोकने का प्रयास किया गया था। मुल्जिम को गिरफतार करके कब्जे में ले लिया था और उसे अस्पताल ले गये थे। अस्पताल में करीब पौन घंटें का समय लग गया था। जैसे ही मुल्जिम को गिरफतार किया था तभी उसे अस्पताल ले गये थे और उसके बाद उसकी डॉक्टरी अस्पताल में हुई थी और अस्पताल में उन्होंने फर्द बनायी थी। इसी

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

क्रम में साक्षी ने कथन किया है कि उसे नहीं पता कि कांस्टेबल हरेन्द्र सिंह को किसके द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उसके हस्ताक्षर हुए थे या नहीं, उसे नहीं पता। हरेन्द्र सिंह को घुटने में और कुहनी में चोट थी। इसके अलावा कोई चोट नहीं थी। हरेन्द्र अस्पताल में कितने दिन भर्ती रहा उसे नहीं पता। इसी क्रम में साक्षी ने यह भी कथन किया है कि फर्द के पहले पेज पर गवाह व अभियुक्त के कोई हस्ताक्षर नहीं है। थाने पर मुकदमा किस समय पंजीकृत हुआ उसे जानकारी नहीं है। उसने विवेचक को घटनास्थल का निरीक्षण नहीं कराया था। विवेचक ने उसके कितने दिन बाद और कब बयान लिया था उसे याद नहीं है।

इसी प्रकार हैड कांस्टेबल 149 शिरोमणी सिंह पी.डब्लू.–3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है परंतु अपनी जिरह में इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना वाले दिन उसकी डयूटी अस्पताल चौराहे पर थी। घटना वाले दिन शाम के समय थाने से वे रवानगी करके चले थे। समय याद नहीं है। असल जी.डी.आज उसके सामने नहीं है। स्कूटी सवार को करीब 200 या 250 मीटर की दूरी से देख लिया था। स्कूटी सवार का नम्बर उन्होंने दूर से नहीं देखा था। इसी क्रम में साक्षी ने जिरह में यह भी कथन किया है कि घटनास्थल से अस्पताल भी नजदीक था, कितनी दूरी पर था मीटरों में भी नहीं बता सकता है। सड़क की चौडाई कितनी होगी वह नहीं बता सकता। घटनास्थल के पास स्कूटी चालक को कितनी दूर से रोकने का प्रयास किया था नहीं बता सकता। फिर कहा नहीं बता सकता। घटनास्थल पर वे कुछ ही समय तक रहे थे, समय नहीं बता सकता। स्कूटी व मुल्जिम को कब्जे में लेने का समय नहीं बता सकता। फर्द मौके पर बनायी थी। स्कूटी का रजिस्ट्रेशन नम्बर वह इस समय नहीं बता सकता। हरेन्द्र को गंभीर चोट थी, किस स्थान पर थी नहीं बता सकता। अस्पताल में वे किस समय तक रहे समय याद नहीं है। इसी क्रम में यह भी कथन किया है कि हरेन्द्र व मुल्जिम आबिद को अस्पताल में किसने भर्ती कराया था याद नहीं है। उसने विवेचक को घटनास्थल का निरीक्षण नहीं कराया था। मुल्जिम को जो फर्द की कॉपी दी थी वह उसकी जेब में डाल दी थी। बरामद स्कूटी आज न्यायालय में उसके सामने नहीं है।

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

इसी प्रकार कांस्टेबल हरेन्द्र सिंह पी.डब्लू.–1 जिसे घटना में चोटे आना कहा गया है, द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ....दिनांक 14/15.01.2014 को वह कांस्टेबल सुरेन्द्र सिंह के साथ अहिल्या बाई चौंक पर पिकेट डयूटी पर रात्रि में तैनात था। उस दिन चीता नम्बर 21 पर कां. 614 विोद व होमगार्ड जल सिंह की ओर से सूचना प्रसारित हुई कि एक व्यक्ति मदनी चौंक से स्कूटर पर बैट्री चुराकर भाग रहा था। उस समय उसके पास चीता 17 जिस पर तैनात कांस्टेबल 1412 शिरोमणी व गार्ड रमेश चन्द तैनात थे। उनके द्वारा वायरलैस सैट पर उक्त व्यक्ति आबिद को रोकने के लिये सूचना प्रसारित होने पर वह तथा उसके साथी चौराहे पर खडे होकर बैरियर लगाकर उसे रोकने का प्रयास किया। उस व्यक्ति ने जानबूझकर तेजी से स्कूटर चलाकर उसे टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसका साथी कां. 1187 सुरेन्द्र सिंह उसे अस्पताल ले गये। सरकारी अस्पताल में रात्रि में सुविधा न मिलने के कारण इला अस्पताल में भर्ती कराया जहां एक्स–रे होने पर उसके दाहिने पैर में घुटने में फ्रैक्चर आया और वह करीब दस दिन अस्पताल में एडमिट रहा। उसके पैर का ऑप्रेशन हुआ और पैर में रोड डाली गयी।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि घटना वाले दिन घटनास्थल पर तैनात होने की बाबत न तो वह असल जी.डी. साथ लेकर आया है ना पत्रावली पर दाखिल है। उसे आर.टी. सैट द्वारा किस समय सूचना मिली इस बात का तस्करा फर्द में अंकित नहीं है। उसे किस समय आर.टी. सैट से सूचना मिली इस बात का ब्यान उसने विवेचक को नहीं दिया था। किस समय सूचना मिली थी यह याद नहीं है। इसी क्रम में साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अहिल्याबाई चौंक डयूटी की बाबत रवानगी हुई थी। रवानगी का समय उसे याद नहीं है। वह किसी वाहन पर तैनात नहीं था। स्कूटर सवार को 50 मीटर दूर से देख लिया था। स्कूटर चालक को रोकने के लिये बैरियर लगाया था परंतु फर्द में बैरियर वाली बात नहीं लिखी है क्यों नहीं लिखी इसकी वजह नहीं बता सकता। इसी क्रम में साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसके सामने कोई फर्द नहीं बनायी गयी थी। उसे अस्पताल में उसका साथी सुरेन्द्र बिना किसी वाहन के पैदल ही ले गया था। वह सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ था। वहां से उसे रेफर किया गया था

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

परंतु रेफर होने की बाबत अस्पताल का कोई कागज पत्रावली पर नहीं है। मैडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसे रेफर नहीं किया गया था। स्कूटर सवार को पकडने से पहले ही उन्हें मालूम हो गया था कि वह चोरी की बैट्री लेकर आ रहा है। उन्हें यह नहीं मालूम था कि बैटरी कहां से चोरी हुई और कहां ले जा रहा था। घटनास्थल शहर के बीच अहिल्याबाई का है जहां रात दिन आना जाना लगा रहता है। इसी क्रम में साक्षी ने कथन किया है कि उसने विवेचक को घटनास्थल का मौका मुआयना नहीं कराया था।

इसके अलावा प्रकरण के विवेचक उपनिरीक्षक सत्य कुमार पी.डब्लू.–4 द्वारा अपनी जिरह में इस साक्षी ने बताया है कि उसने माल मुकदमा का कोई निरीक्षण नहीं किया था। बैट्री किस व्यक्ति की थी और कहां से चोरी हुई थी, इस बात की जानकारी विवेचना के दौरान नहीं हुई थी। कां. हरेन्द्र के शरीर पर चोटें कहां कहां थी ? इसका निरीक्षक उसने नहीं किया था। घायल हरेन्द्र कुमार का किस चिकित्सक द्वारा डाक्टरी मुआयना किया गया था उस चिकित्सक से उसने कोई पूछताछ नहीं की थी। इसी क्रम में साक्षी ने यह भी बताया है कि जहां पर घटनास्थल का होना बताया गया है वहां आसपास के लोगों से उसने कोई पूछताछ नहीं की थी। घटनास्थल के पूरब में एक पान का खोखा व एक होटल था। पश्चिम में रोड चौराहा था। घटनास्थल के पश्चिम में प्रेस व जूस की दुकान थी। इन दुकानदारों से उसने कोई पूछताछ नहीं की थी। उसने किसी भी गवाह का बयान अंकित करते समय, समय नहीं लिखा है। वादी की निशानदेही पर उसने दिनांक 16.01.2014 को किया था। जिस वक्त उसने हरेन्द्र का बयान लिया था उस समय चलने फिरने की स्थिति में था।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के सम्यक अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी मुकदमा हैड कांस्टेबल 706 विनोद कुमार पी.डब्लू.–2 ने अपने बयान में फर्द मौके पर ही तैयार किये जाने का कथन किया है। जबकि अपनी जिरह में फर्द अस्पताल में बनाये जाने का कथन किया है। इस बिन्दु पर कांस्टेबल हरेन्द्र पी.डब्लू.–1 ने अपनी जिरह में उसके सामने कोई फर्द बनाये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के फर्द तैयार करने के संबंध में परस्पर विरोधाभासी कथन किये गये हैं।

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

इसी प्रकार कांस्टेबल हरेन्द्र पी.डब्लू.–1 द्वारा अपने बयान में अभियुक्त को बैरियर लगाकर रोकने का प्रयास किया जाना कहा गया है जबकि वादी मुकदमा हैड कांस्टेबल 706 विनोद कुमार पी.डब्लू.–2 ने अपने बयान में अभियुक्त को बिना किसी अवरोध और डंडे से रोकने का कथन किया गया है। इसी प्रकार विवेचक द्वारा घटनास्थल का जो नक्शा नजरी बनाया गया है उसमें भी कोई ''बैरियर'' लगा होना दर्शित नहीं किया गया है। इसी प्रकार फर्द प्रदर्श क–1 में भी अभियुक्त को ''बैरियर'' लगाकर रोकने का कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है बल्कि यह अंकित किया गया है कि ''अस्पताल तिराहे पर अहिल्या बाई चौंक के पास चीता–17 पर नियुक्त कर्मचारीगण कां. 1412 शिरोमणी व होमगार्ड 762 सुरेन्द्र तथा कां. 1437 हरेन्द्र ने रोड पर खडे होकर स्कूटी रोकने का प्रयास किया।'' उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि कांस्टेबल हरेन्द्र पी.डब्लू.–1 द्वारा अभियुक्त को रोकने के लिये ''बैरियर'' लगाने की बात केस को प्रबलता प्रदान करने के आशय से पहली बार न्यायालय के समक्ष कही गयी है। अतः ''बैरियर'' लगाकर अभियुक्त को रोकने का तथ्य विश्वसनीय नहीं है।

इसी प्रकार वादी मुकदमा हैड कांस्टेबल 706 विनोद कुमार पी.डब्लू.–2 ने अपनी जिरह में बताया है कि घटनास्थल पर जाने से पहले थाना सिविल लाईन्स पर 19.45 पर अपनी रवानगी की थी। असल जी.डी. वह न्यायालय में लेकर नहीं आया है। इसी बिन्दु पर हैड कांस्टेबल 149 शिरोमणी सिंह पी.डब्लू.–3 ने अपनी जिरह में बताया है कि घटना वाले दिन शाम के समय थाने से रवानगी करके चले थे, समय याद नहीं है। असल जी.डी. आज उसके सामने नहीं है। इसी बिन्दु पर कांस्टेबल हरेन्द्र सिंह पी.डब्लू.–1 ने अपनी जिरह में बताया है कि घटना वाले दिन घटनास्थल पर तैनात होने की बाबत न तो वह असल जी.डी. साथ लेकर आया है और न ही पत्रावली पर दाखिल है। उसे आर. टी. सैट से किस समय सूचना मिली इस बात का तस्करा फर्द में अंकित नहीं है।

इसी संबंध में वादी मुकदमा हैड कांस्टेबल 706 विनोद कुमार पी.डब्लू.–2 ने जिरह में बताया है कि मौके पर जनता के करीब 8–10 लोग उपस्थित थे। उनके नाम व पते नहीं पूछे थे। इसी बिन्दु पर कांस्टेबल हरेन्द्र पी.डब्लू.–1 ने अपनी जिरह में बताया है कि घटनास्थल शहर के बीच अहिल्याबाई का है

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

जहां रात दिन आना जाना लगा रहता है। घटनास्थल के पूरब में ढाबा है किसका था, नहीं बता सकता। पश्चिम में दुकान थी किसकी थी नहीं बता सकता। इसी बिन्दु पर विवेचक साक्षी उपनिरीक्षक सत्य कुमार पी.डब्लू. –4 द्वारा अपनी जिरह में बताया है कि जहां पर घटनास्थल का होना बताया गया है वहां आसपास के लोगों से उसने कोई पूछताछ नहीं की थी। घ ाटनास्थल के पूरब में एक पान का खोखा व एक होटल था। पश्चिम में रोड चौराहा था। घटनास्थल के पश्चिम में प्रेस व जूस की दुकान थी। इन दुकानदारों से उसने कोई पूछताछ नहीं की थी। इसी प्रकार हैड कांस्टेबल 149 शिरोमणी सिंह पी.डब्लू.–3 ने अपनी जिरह में बताया है कि बरामद स्कूटी आज न्यायालय में उसके सामने नहीं है।

इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षीगण पी.डब्लू.–1 कां. हरेन्द्र, पी.डब्लू.–2 हैड कांस्टेबल 706 विनोद कुमार, पी.डब्लू.–3 हैड कांस्टेबल 149 शिरोमणी सिंह एवं विवेचक साक्षी पी.डब्लू.–4 उपनिरीक्षक सत्य कुमार के साक्ष्य के सम्यक अवलोकन से पुलिसकर्मियों की थाने से रवानगी के संबंध में जी.डी. को पत्रावली पर दाखिल न करना, घटना के संबंध में किसी स्वतंत्र पब्लिक के साक्षी लेने का प्रयास न करना, माल मुकदमा स्कूटी व बैट्री को न्यायालय में पेश न करना अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि कथित चुटैल कांस्टेबल हरेन्द्र को जिला अस्पताल से रेफर किया जाना कहा गया है परंतु रेफर की बाबत किसी प्रकार का कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार कथित चुटैल कांस्टेबल हरेन्द्र को घुटने व कुहनी में चोटें आना बताया गया है जबकि मैडिकल में चोटों के संबंध में विरोधाभास है। यह भी कहा गया है कि कांस्टेबल हरेन्द्र के द्वारा 50 कदम की दूरी से अभियुक्त को देख लिया था परंतु उसके द्वारा कोई बचाव न किया जाना घटना को संदिग्ध बनाता है।

इस संबंध में साक्षीगण वादी मुकदमा हैड कांस्टेबल 706 विनोद कुमार पी.डब्लू.–2, हैड कांस्टैबल 149 शिरोमणी सिंह पी.डब्लू.–3, हरेन्द्र पी.डब्लू. –1 एवं विवेचक साक्षी उपनिरीक्षक सत्य कुमार पी.डब्लू.–4 के साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया गया।

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

वादी मुकदमा हैड कांस्टेबल 706 विनोद कुमार पी.डब्लू.–2 ने अपनी जिरह में बताया है कि उसे नहीं पता कि कांस्टेबल हरेन्द्र सिंह को किसके द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उसके हस्ताक्षर हुए थे या नहीं उसे नहीं पता। हरेन्द्र सिंह को घुटने में और कुहनी में चोट थी। इसके अलावा कोई चोट नहीं थी। हरेन्द्र अस्पताल में कितने दिन भर्ती रहा उसे नहीं पता। इसी बिन्दु पर हैड कांस्टेबल 149 शिरोमणी सिंह पी.डब्लू.–3 ने अपनी जिरह में बताया है कि हरेन्द्र को गंभीर चोट थी किस स्थान पर थी नहीं बता सकता। इसी बिन्दु पर कां. हरेन्द्र पी.डब्लू.–1 ने अपनी जिरह में पृष्ठ 4 पर बताया है कि उसे अस्पताल में उसका साथी सुरेन्द्र उठाकर बिना किसी वाहन के पैदल ही ले गया था। वह सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ था। वहां से उसे रेफर किया गया था परंतु रेफर होने की बाबत अस्पताल का कोई कागज पत्रावली पर नहीं है। उसे मैडिकल रिपोर्ट के आधार पर रेफर नहीं किया गया था। सरकारी अस्पताल से वह फर्सट एड लेने के बाद रात में थाने आ गया था फिर थाने के सामने अस्पताल में अगले दिन सुबह भर्ती हुआ था। इसी प्रकार विवेचक साक्षी उपनिरीक्षक सत्य कुमार पी. डब्लू.–4 द्वारा अपनी जिरह में बताया गया है कि कां. हरेन्द्र के शरीर पर चोटें कहां कहां थी इसका निरीक्षण उसने नहीं किया था। घायल हरेन्द्र का किस चिकित्सक द्वारा डाक्टरी मुआयना किया गया था उस चिकित्सक से उसने कोई पूछताछ नहीं की थी।

इस प्रकार कथित घटना में कांस्टेबल हरेन्द्र को चोटे आने के पश्चात जिला चिकित्सालय में साथी पुलिसकर्मी कां. 1198 सुरेन्द्र के द्वारा पैदल ले जाया जाना कहा गया है। परंतु उक्त साक्षी कां. 1198 सुरेन्द्र को अभियोजन की ओर से साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है। वादी मुकदमा हैड कांस्टेबल 706 विनोद कुमार पी.डब्लू.–2 द्वारा अपने बयान में कां. हरेन्द्र को घुटने और कुहनी में चोट आना बताया गया है जबकि हैड कांस्टेबल 149 शिरोमणी सिंह पी.डब्लू.–3 ने हरेन्द्र को चोटे किस स्थान पर थी ? बताने में अनभिज्ञता प्रकट की है। इसी प्रकार विवेचक उपनिरीक्षक सत्य कुमार पी.डब्लू.–4 द्वारा अपने बयान में घायल हरेन्द्र के शरीर पर कहां कहां चोटे थी, के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की गयी है। इसके अलावा पत्रावली पर घायल पुलिसकर्मी हरेन्द्र की चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क–10 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कांस्टेबल

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

हरेन्द्र को जो 5 चोटें आना दर्शित किया गया है वे सभी पैरों पर आयी हैं तथा कांस्टेबल हरेन्द्र का उपचार करने वाले चिकित्सक डॉ. राजेश सिंह पी.डब्लू.–5 द्वारा अपनी जिरह में चोटों को सख्त जमीन पर गिरने से आना संभव बताया है तथा यह भी बताया है कि सभी चोटें कुन्द हथियार जैसे लाठी डंडे से भी आ सकती हैं तथा यह भी बताया है कि उसे याद नहीं है कि चुटैल के कपडों पर खून लगा था या नहीं। इस प्रकार अभियोजन की ओर से घटना में घायल कांस्टेबल हरेन्द्र को आयी चोटों के संदर्भ में जो साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल किया गया है वह विधिवत साबित नहीं होता है। बल्कि घायल कांस्टेबल हरेन्द्र को आयी चोटें उस प्रकार से आना प्रतीत नहीं होती हैं जैसा कि अभियोजन की ओर से कहा जा रहा है। दूसरे शब्दों में अभियोजन की ओर से जो कहानी बतायी गयी है कि अभियुक्त चोरी की स्कूटी पर बैट्री रखकर मदनी चौक से शिव चौंक की ओर भागा है और उसे अहित्याबाई चौंक पर पिकेट पर तैनात कांस्टेबल हरेन्द्र ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने कांस्टेबल हरेन्द्र को उसके कर्तव्य निरवहन से भयोपरत करने के लिये टक्कर मारकर घ ाायल कर दिया, जिसे मौके पर मय स्कूटी व बैट्री के पकड़ लिया गया, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है यानि अभियोजन ने कहीं न कहीं वास्तविक तथ्यों को छिपाया है। क्योंकि न तो अभियोजन की ओर से कथित घायल कां. हरेन्द्र के घटनास्थल पर डयूटी पर उपस्थित होने के संबंध में कोई जी.डी. रवानगी ही साबित की गयी है और न ही माल मुकदमाती कथित स्कूटी व बैट्री को न्यायालय में पेश किया गया है।

इसके अलावा आर.टी. सैट से कांस्टेबल हरेन्द्र को सूचना प्राप्त होना कहा जा रहा है परंतु उसका तस्करा फर्द में नहीं है। कांस्टेबल हरेन्द्र पी.डब्लू. –1 द्वारा भी अपनी जिरह में स्वीकार किया गया है कि उसे आर.टी. सैट द्वारा किस समय सूचना मिली इस बात का तस्करा फर्द में अंकित नहीं है तथा उसे किस समय सूचना मिली थी यह याद नहीं है। इसके अलावा घायल कांस्टेबल हरेन्द्र पी.डब्लू.–1 द्वारा अपने बयान में बताया गया है कि उसने स्कूटी सवार अभियुक्त को 50 मीटर दूर से देख लिया था। परंतु यदि इस साक्षी ने अभियुक्त को मात्र 50 मीटर दूर से देख लिया था तो अवश्य ही उसके द्वारा स्कूटी का नम्बर देखा गया होगा परंतु इस साक्षी द्वारा अपने बयान में कथित स्कूटी का नम्बर बता पाने में असमर्थत व्यक्त की है। इसी प्रकार घायल

कांस्टेबल हरेन्द्र द्वारा अपने बयान में उसके साथी सुरेन्द्र द्वारा बिना किसी वाहन के पैदल ही सरकारी अस्पताल ले जाना और अगले दिन थाना सिविल लाईन्स के सामने स्थित अस्पताल में भर्ती होना बताया है। घटनास्थल पर ''बैरियर'' लगाकर अभियुक्त को रोकने एवं अभियुक्त से बरामद कथित स्कूटी व बैट्री बरामदगी के तथ्य को न्यायालय द्वारा विश्वसनीय व सत्य नहीं पाया गया है।

अतः उक्त विवेचन से यह तथ्य निष्कर्षित होता है कि अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये कथित आरोपों कि अभियुक्त कां. हरेन्द्र लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिये स्वच्छया उपहति कारित करते हुए उस पर हमला कारित किया, को युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है। बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षित अभियुक्त द्वारा स्कूटी को असावधानी व तेजी तथा लापरवाही से चलाकर कां. हरेन्द्र को टक्कर मारी गयी रही हो सकती है। तदनुसार अभियुक्त आबिद को उसके विरूद्व लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 333 एवं 353 भारतीय दंड संहिता से सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया जाना उचित है।

आदेश

अभियुक्त **आबिद पुत्र आसिफ** को मुकदमा अपराध संख्या 21 सन 2014, थाना सिविल लाईन्स, जनपद मुजफ्फरनगर के मामले में धारा 333, 353 भारतीय दंड संहिता के आरोप से सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में जमानत पर रिहा है। उसके जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है तथा उनके बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं।

अभियुक्त द्वारा दंड प्रकिया संहिता की धारा 437–ए के अनुपालन में स्वयं के अंकन 40,000/–40,000/– का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व समान धनराशि के दो नये जमानती प्रस्तुत किये गये हैं, जिन्हें सत्यापन के अध्याधीन अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है, जो जमानतनामें व बंध पत्र अग्रिम छह माह तक प्रभावी रहेंगे।

19.03.2026

बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746

इस केस के सभी प्रदर्श एक वर्ष तक संरक्षित किये जायें तथा उनका निस्तारण एक वर्ष की अवधि के उपरांत अथवा अपील दाखिल होने की अवस्था में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जायेगा।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
दिनाँक : 19.03.2026 सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
दिनाँक : 19.03.2026 सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

sv

19.03.2026 बी.के. सिंह
सेशन न्यायाधीश
आई.डी. यू.पी.–5746